"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 मई 2013—ज्येष्ठ 7, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-124/सात-3/2011/दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 के संलग्न अनुसूची के सरल क्रमांक-06 के नीचे निम्नानुसार अंत:स्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	तहसील कार्यालय	अस्थाई जाति प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर
8.	तहसील कार्यालय	स्थाई जाति प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर	कमिश्नर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	तहसील कार्यालय	निवास प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर
10.	तहसील कार्यालय	आय प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.